RCMS-2020/00147 जिला करौली

...यालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

27/2020 तारीखरजू:– 14/7/2020

उनवानः– इन्द्राज बनाम सियाराम वगै0

प्रार्थना पत्र अरथाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212

क	फर्द अहकाम
2020	प्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री छुट्टनलाल मीना एडवोकेट हाजिर प्रार्थी अधिवक्ता के इस अनुरोध पर कि प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का है तथा प्रार्थी के पक्ष मे अन्तरिम अरथाई निषेधाज्ञा पारित नही किये जाने पर वाद व प्रार्थना पत्र का उद्देश्य ही असफल हो जायेगा। प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा के बिन्दू पर वकील प्रार्थी को सुना गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण प्रश्नगत भूमि मे सायलान को प्रार्थी के पक्ष मे अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की जावे। प्रार्थना पत्र की प्रकृति एवं आकस्मिकता को देखते हुए ग्राम महस्वा तहसील टोडाभीम जिला करौली की विवादग्रस्त आराजी ख0न0 1342/1.45, 1373/0.06, 1374/0.05, 1375/0.05, कुल किता 4 कुल रकवा 1.61 है0 मे अप्रार्थीगण प्रार्थी के हिस्से की आराजी मे मजाहमत मदाखलत व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु आगामी सुनवाई दिनांक 30.07.2020 तक पाबन्द किया जाता है। प्रार्थी को निर्देशित किया जाता है। कि अप्रार्थीगण के नोटिस तामिल को सामान्य व साधारण प्रकिया के साथ–साथ अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र दस्तावेज व नोटिस आदि की प्रतियां रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना सुनिश्चित करे। तथा आगामी पेशी पर इस आशय का शपथ पत्र तथा रसीद प्रस्तुत भी करे। तथा बहस हेतु तैयार नही होने पर आगामी सुनवाई को अरथाई निषेधाज्ञा स्वतः निष्प्रभावी मानी जावेगी। प्रकरण को स्वच्छ हाथो से प्रस्तुत किया हुआ मानकर तथा एक पक्षीय सुनवाई के आधार पर न्यायालय के विवेकाधीन शक्तियो के तहत यह अन्तरिम अरथाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। लिहाजा प्रार्थीगण से यह अपेक्षा की जाती है। कि वह उपरोक्तानुसार अप्रार्थीगण पर एक पक्षीय आदेश की तामिल की उपर्युक्तानुसार ठोस कार्यवाही कर इस न्यायालय को प्रमाण पेश करे। तथा आदेश 39 नियम (3) (क) के प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करे। अन्यथा अंतरिम आदेश को आईन्दा तारीख पेशी तक विस्तारित करने से पूर्व न्यायालय अपने विवेकाधिकार एवं अंतर्निहित शक्तियो का प्रयोग करेगा। जिन परिस्थितियो मे यह अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई है मे परिवर्तन की दशा मे संशोधित/वैकेट कर दी जावेगी। अप्रार्थीगण को जरिए रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 30.07.2020 को पेश हो। उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली
30.7.20	प्रार्थी वकील उप0/ अप्रार्थीगण की ओर से श्री राजकुमार सिंह राजावत Adv. ने वकालतनामा पेश किया। जवाब पेश करने दिनांक 27.8.20 को पेश हो। उप जिला कलक्टर टोडाभीम (करौली)

2582-86 14/7/2020

फर्द अहकाम

पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्षकारान उप० बहस हेतु समय चाहा। समय दिया गया। वास्ते बहस दिनांक 30.8.24 को पेश हो।

(हस्ताक्षर)

30-8-24 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी द्वारा प्रार्थी वकील कोई उपस्थित नहीं हुआ। बार 2 आवाज दिलाई गई इसके उपरान्त भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थी द्वारा प्रार्थी वकील की अदम पैरवी अदम हाजिरी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)